संख्या- 25 /2017/1534/60-2-17-2/3(3)/12

प्रेषक,

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 जून, 2017

विषय : अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुपूरक पुष्टाहार राज्य योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-58/बा0वि0परि0/लेखा/2017-18, दिनांक 19.04.2017 एवं पत्र संख्या-269/बा0वि0परि0/योजना-117/2017-18 दिनांक 06-06-2017 के संदर्भ में अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अधीन समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे पोषाहार के मानक मद 42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रूपये 98,000/- लाख (रूपये नौ अरब अस्सी करोड़ मात्र) के सापेक्ष प्रथम त्रैमास हेतु रूपये 2,45,00/- लाख (रूपये दो अरब पैंतालिस करोड़ मात्र) की धनराशि की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) स्वीकृति धनराशि के व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ् प्रतिपूर्ति के दावे समय से निर्धारित प्रपत्र पर भारत सरकार/शासन को प्रस्तुत करते हुए अपेक्षित केन्द्रांश की प्राप्ति समयबद्व रूप से सुनिश्चित की जायेगी। केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/निर्देशों के अनुसार व्यय किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण कोषागार से एकमुश्त न करके प्रत्येक माह की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जायेगा।

(5) यह धनराशि प्राप्त परिव्यय की सीमा में ही समाहित होगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति से स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग कर ली जाय और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही एस0सी0एस0पी0 की गाइड लाइन के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाये।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग उसी कार्य/मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया जा रहा है। इससे इतर धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमिततामाना जायेगा, जिसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टहार, उ0प्र0 लखनऊ उत्तरदायी होंगे।

(8) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण् के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994, एवं कार्यालय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

(9) विगत वर्ष की देयता के भुगतान के संबंध में वित्त विभाग की अनुमति के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0101-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (के.50/रा.50-के.+रा.) के मानक मद 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र)
उप सचिव

संख्या- 25 /2017/1534(1)/60-2-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (बजट)अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग-1
6. बजट प्रकोष्ठ / कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।